उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H.W.114 / सी–3 / NGT-335 / 2023   दिनांकः 30 / 08 / 2023

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Factual Report in compliance of the order dated-27.07.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Dellhi in Original Application No. 258 of 2023 titled by Virender Kumar Tyagi Versus State of U.P.

Sir,

In compliance of the order dated- 27.07.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 258 of 2023 titled by Virender Kumar Tyagi Versus State of U.P. The inspection of the site was conducted on 04.08.2023 by the officials of Regional Office, UPPCB, Meerut. The Report is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely

Enclosure- As above

30/8/23

(Ghanshyam)
Chief Environmental Officer,
Circle-3

Copy to:

1. Shri Pradeep Mishra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for necessary action please.
2. Law Officer-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.
3. Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Meerut for information and necessary action.

30/8/23

Chief Environmental Officer,
Circle-3

9(8)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Report regarding Order dated 27-07-2023 passed by Hon'ble NGT in OA No. 258/2023.

Background:-

Directions passed by Hon'ble NGT in OA No. 258/2023 (Virendra Kumar Tyagi Vs State of UP) on Dated 28.04.2023 is as below:-

"………3. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled Enactments under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for which purpose we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Meerut who shall visit the premises, collect relevant information and submit a factual as well as action taken, if any, report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. District Magistrate, Meerut will be nodal agency for coordination and compliance……."

In compliance of the above order Action Taken Report has been submitted by District Magistrate vide letter Dated 26.07.2023 in Hon'ble NGT for kind perusal.

In the further hearing on dated 27.07.2023 Hon'ble NGT has issued further directions as below,-

"………3. Learned Counsel appearing for State PCB has sought a short time for filing reply and report. State PCB is directed to take action on the point of applicability of EC and discharge of untreated water into the drains, and assess and realize the Environmental Compensation including past violations in accordance with the Rules on the Developers. The amount realized will be utilized for environmental purposes. MDA and MNN who have set up STPs are responsible to connect sewage generation in the area, may also file response and taking remedial action to connect sewage

to STPs and not discharge untreated sewage into drains. Further action taken report be filed within three weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. List the matter on 01.09.2023. ………"

Report:-

Residential Colony i.e. Sheelkunj at Village Mukkarabpur, Palhera, District Meerut has been inspected by under signed on dated 04.08.2023 in presence of representative of project developer M/s Indus Valley Promotors. During Inspection it was found that sewage generated from Sheelkunj Colony is being sent to 07 MLD STP of Meerut Development Authority, Meerut. Representative provided relevant information and document during inspection.

Development work of residential Colony i.e. Sheelkunj is completed. It was noticed that Colony is being developed in three sequential parts as Sheelkunj-I, Sheelkunj-II and Sheelkunj-III

Sheelkunj-I:-

Meerut Development Authority, Meerut vide its letter dated 30.06.2015 issued conditional permission and approved the map no. 04/07, dated 29.11.2007 in to revised layout no. 08/2012 for the residential plots and constructions on khasra no 473, 482 part, 483, 485, 486, 487 part, 490 part, 613 part, 615 part, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622 and 623 in favour of M/s Indus Valley Promotors Ltd. Through Shri Ajay Gupta. Residence of 02 PL Sharma Road, Meerut for the sanctioned area **64908.00** Sq. Mtr. **(Annexure-01).** Further for the layout drawing, completion was issued by MDA on 23.01.2017 **(Annexure-02).**

Sheelkunj-II:-

Meerut Development Authority, Meerut vide its letter dated 10.06.2011 issued conditional permission and approved the map for residential plots and constructions on khasra no 624, 626, 627, 628, 629 part, 637, 638, 640 part, 644

part, 645 part, 647 part and 648 in favour of Shri Tejpal Singh and Shri Arun Kumar Goyal etc, Resident of 11/5 Mansarovar, Meerut for the sanctioned area **113765.00** Sq. Mtr. **(Annexure-03).** Further for the layout drawing, completion was issued by MDA on 23.01.2017 **(Annexure-04).**

Sheelkunj-III:-

Meerut Development Authority, Meerut vide its letter dated 10.09.2013 issued conditional permission and approved the map further residential plots and constructions on khasra no 612 part, 613 part, 624 part, 625, 626 part, 627 part, 633, 634, 635 part, 636, 637 part, 638 part, 639 part, 640 part in favour of M/s Indus Valley Promotors Ltd. Through Shri Ajay Gupta, Resident of 02 PL Sharma Road, Meerut and three other partners Shri Pawan Kunwar, Shri Anshul Goyal, Shri Rakesh Kumar & M/s Gangotri Coloniser Pvt. Ltd. Through director Shri Satesh Sahani for the sanctioned area **96497.00** Sq. Mtr. **(Annexure-05).** Further for the layout drawing, completion was issued by MDA on 17.03.2018 **(Annexure-06).**

Operation and Maintenance cost of the Pallavpuram STP Rs. 11-12 Lakhs per Annum is being charged by Meerut Development Authority, Meerut **(Annexure-07).**

Meerut Development Authority, Meerut has charged total external development charge of Rs. 10,50,75,300/- from the Promotors **(Annexure-08).**

Presently after the completion of the land development projects issued in the year 2017 & 2018, Sheelkunj Colony is secured with outer boundary and gated security. There is no inner boundary which separates Sheelkunj-I, Sheelkunj-II and Sheelkunj-III. Hence the total land area of all three is approx. **27.517 Hectare (275170 sq. mtr.)**

It is noteworthy that if all the three parts of Sheelkunj be clubbed together as single colony having total land area **27.517 Hectare.** The colony is not covered by MOEF notification no. S.O.-1533 dated 14-09-2006 and

provisions made thereunder and hence provisions of obtaining Environmental Clearance are not applicable for the Township area developments project.

Presently sewage of the whole Sheelkunj Colony is being sent to Pallavpuram STP for treatment. Laying of additional external Sewer line to the STP is contested and objected by the applicant/representative of Pallavpuram Residence Welfare Associations. Storm water drain of the Sheelkunj Colony is connected with outer storm water drain laid by Meerut Development Authority, Meerut which ultimately meets in discharge drain of Pallavpuram STP.

Conclusion :-

1. The said colony having total land area **27.517 Hectare** is not covered by EIA notification no. S.O.-1533 dated 14-09-2006 and provisions made thereunder and hence provisions of obtaining Environmental Clearance are not applicable for the Township and area developments project, township and area development projects of area ≥ 50 Hectare or built up area ≥ 150000 Sq. Mtr. are covered under category 8(b) of the EIA notification, 2006 **(Annexure-09).**
2. Sewage of the whole Sheelkunj Colony is being sent to Pallavpuram STP for treatment. Laying of additional external Sewer line to the STP is contested and objected by the applicant/representative of Pallavpuram Residence Welfare Associations. Sewer line of the colony is mentioned in completion drawings annexed as annexure no. 02, 04 & 06.
3. Storm water drain of the Sheelkunj Colony is connected with outer storm water drain laid by Meerut Development Authority, Meerut which ultimately meets in discharge drain of Pallavpuram STPs. Storm water lines, water supply lines and sewer lines were verified according to completion drawing. Sewer line of the colony is mentioned in completion drawings annexed as annexure no. 02, 04 & 06.
4. This is to clarify that in last inspection dt. 19.07.2023, sewer flow was noticed in main hole of storm water drain laid by project proponent which

meets in discharge drain of Pallavpuram STPs. In this regard the representative present at time of inspection clarified that Pallavpuram main drain was flooded on 19.07.2023 and hence due to back flow of storm water drain laid by MDA, sewage was found. No any internal sewer line is laid in that gradient. During latest inspection on 04.08.2023, no sewage was noticed in storm water drain. In this circumstances, responsibility for imposition of Environmental compensation for the past violation may not be fixed for willful discharge.

The report is submitted for kind consideration of Hon'ble Tribunal in the matter.

(Yogesh Kumar Mishra)
A.E.E.
UPPCB, Meerut

25/8/2023
(Bhuvan Prakash Yadav)
Regional Officer
UPPCB, Meerut

ANNEXURE-1

कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 307/म/मानचित्र अनु0 (जोन बी)/2014 दिनांक :– 30/6/2015

मै0 इण्डस वैली प्रमोटर्स लि0
द्वारा डायरेक्टर श्री अजय गुप्ता,
निवासी–2 पी0एल0 शर्मा रोड,
मेरठ।

आपके पत्र दिनांक 06.10.14 तलपट मानचित्र सं0 8/12 **(संशोधित)** के प्रस्तावित निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम **शीलकुंज कालोनी, रूडकी रोड, मेरठ/ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैडा, मेरठ** के खसरा सं0 **473, 482पार्ट, 483, 485, 486, 487पार्ट, 490पार्ट, 613पार्ट, 615पार्ट, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622** व **623** पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहॉ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्व यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने का बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (ऑकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस शर्त के साथ यह मानचित्र संख्या 8/12 (संशोधित) निर्गत किया जा रहा है कि इसी तलपट के पूर्व स्वीकृत (भाग) पर तलपट मानचित्र 4/07 में आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत बैंक गारन्टी रू0 96,47,500/– का नवीनीकरण कारकर एक माह के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी (जिसकी सूचना आपको पूर्व में प्रेषित है) तथा उक्त शर्तो का उल्लघंन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत कराने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नः स्वीकृत मानचित्र की प्रति।
प्रतिलिपिः– नोडल अधिकारी को प्रेषित।

30/06/15

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक :   दिनांक :

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

8/12

सेवा में,

इण्डस वैली प्रमोटर्स लि0
द्वारा डायरेक्टर श्री अजय गुप्ता,
निवासी–2, पी.एल. शर्मा रोड,
मेरठ।

विषय :– तलपट मानचित्र संख्या–08/12 पर औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र संख्या–08/12 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कतिपय औपचारिकताऐं पूर्ण कराये जाने की शर्त के साथ दिनांक–22.11.2012 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। पूर्ण की जाने वाली औपचारिकताऐं निम्न प्रकार हैः–

1. कुल वाह्य विकास शुल्क ₹ 35,44,840.00 प्राधिकरण कोष में जमा करानें होगें।

अथवा

वाह्य विकास शुल्क की 40 प्रतिशत धनराशि ₹ 14,17,936.00 तत्काल प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी तथा अवशेष 60 प्रतिशत धनराशि ₹ 21,26,904.00 की 3 वर्ष की अवधि के ब्याज सहित पो. पोस्ट डेटेड चेक प्रस्तुत करने होगें तथा इतनी ही धनराशि की भूमि प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखनी होगी, जोकि वाह्य विकास शुल्क की प्राप्ति के अनुपालन में अवमुक्त की जायेगी।
2. शमन शुल्क ₹ 12,500.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराने होगे।
3. निरीक्षण शुल्क ₹ 20,451.00 प्राधिकरण कोष में जमा करने होगें।
4. लेबर सैस ₹ 8,960.00 प्राधिकरण कोष में जमा करने होगें।
5. 33 केवीए की इलैक्ट्रिक लाईन की पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या–04/07 में उल्लेखित प्रस्तावित कार्यवाही को सम्बन्धित द्वारा क्रियान्वित कराये जाने सम्बन्धी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. ई.डब्लू.एस. व एल.आई.जी. भवनों का विक्रय ₹ 2.00 लाख व ₹ 4.25 लाख प्रति इकाई, जिसका पुनरीक्षण यथा समय प्रत्येक वर्ष परन्तु अधिकतम 2 वर्षो में कास्ट इण्डेक्स के आधार पर किया जायेगा, के आधार पर करना होगा। इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. प्रश्नगत मानचित्र जब निर्गत किया जायेगा जब शीलकुंज फेस–3 के तलपट मानचित्र की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी, क्योंकि प्रश्नगत मानचित्र व शीलकुंज–3 की ई.डब्लू.एस. व एल.आई.जी. इकाईयां एक साथ शीलकुंज–3 में प्रस्तावित हो गई है। इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. शासनादेश संख्या–3338/आठ–1–11–विविध/2010 दिनांक–26 सितम्बर, 2011 के समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या–04/07 की स्वीकृति के समय दी गयी वचनबद्धताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. आन्तरिक विकास कार्यो की आगणित लागत ₹ 89,600.00 के सापेक्ष इतनी ही धनराशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी, जो कि आन्तरिक विकास कार्यो के अनुपात में अवमुक्त की जायेगी।

अतः आप उपरोक्त औपचारिकताऐं दिनांक 15-12-12 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे मानचित्र निर्गत की कार्यवाही की जा सकें।

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः 04/07 मानचित्र–अनु0/2007 दिनांकः 29/11/07

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी–मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री अजय गुप्ता,
निदेशक,
इन्डस वैली प्रमोटर्स लि0,
ए–2, शास्त्री नगर–मेरठ।

विषयः– तलपट मानचित्र संख्या–04/07 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप द्वारा शील कुन्ज आवासीय कालोनी के प्रस्तुत तलपट मानचित्र सं0–04/07 के सम्बन्ध में आपके द्वारा निम्न औपचारिकतायें पूर्ण करायी जानी अपेक्षित हैः–

1. तलपट मानचित्र में प्रस्तावित भूखण्डों/भवनों का निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में कालोनाइजर स्वयं उत्तरदायी होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. कालोनाईजर द्वारा आंतरिक विद्युत सम्बन्धित समस्त कार्य उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के मानकों के अनुरूप करना होगा व वांछित क्षमता का प्रवर्तक लगाने हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. तलपट मानचित्र में प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 57710.00 वर्ग मीटर पर रू0 3/–प्रति वर्ग मीटर की दर से निरीक्षण शुल्क रू0 1,73,130.00 जमा कराने होंगे।

5. आन्तरिक विकास कार्यो के आगणन की कुल धनराशि रू0 96,47,500.00 की बैंक गारन्टी प्राधिकरण में जमा करनी होगी।

   अथवा

   उक्त धनराशि के समतुल्य भूमि के भूखण्डों को प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रखना होगा। उपरोक्त बैंक गारन्टी/बन्धक भूखण्डों को स्थल पर हुए विकास कार्यो के अनुपात में अवमुक्त किया जायेगा।

6. कालोनी के आंतरिक विकास कार्यो को तीन वर्ष में पूर्ण कराने हेतु प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा आंतरिक विकास कार्यो के पूर्ण होने पर प्राधिकरण से कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा।

7. कालोनी के समस्त आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर कालोनी को नगर निगम को हस्तान्तरित कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा। कालोनी के नगर निगम को

AE

हस्तान्तरित होने तक आंतरिक कार्यो का रख–रखाव स्वयं कालोनाईजर को करना होगा! इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. वाहय विकास शुल्क क्षेत्रफल 57710.00 वर्ग मीटर पर रू0 400.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से रू0 2,30,84000.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराने होंगे। यदि मानचित्र स्वीकृति से पूर्व इन दरों में कोई वृद्धि होती है तो तत्समय दरों के अनुसार वाहय विकास शुल्क देय होगा।

9. प्राधिकरण की आवासीय योजना पल्लवपुरम् से सुविधाएं प्राप्त किये जाने पर जो अतिरिक्त विकास व्यय देय होगा इस देयता हेतु आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. भविष्य में प्रश्नगत स्थल के समीप सीवर लाईन डाले जाने की स्थिति में भू–स्वामी को आंतरिक सीवर लाईन को मुख्य ट्रंक सीवर लाईन से अपने खर्चे पर मिलाना होगा तथा इसके रखरखाव की जिम्मेदारी स्वयं कालोनाईजर की होगी। ट्रंक सीवर लाईन डाले जाने तक सोकपीट की व्यवस्था कर डिस्पोजल करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. तलपट मानचित्र में दर्शित सड़कों के किनारे शासनादेश के अनुरूप वृक्षारोपण करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। कालोनी का पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत से पूर्व उक्त का प्राविधान करना होगा।

13. कालोनी में अग्नि सुरक्षा हेतु यन्त्र लगाने होंगे। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. सर्विसिज प्लान के अनुसार स्थल पर विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं को मानकों के अनुरूप विकसित करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः आप उक्त औपचारिकताएं/कार्यवाही पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर पूर्ण कराते हुए प्राधिकरण में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

29/11/02

प्रभारी अधिकारी–मानचित्र,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

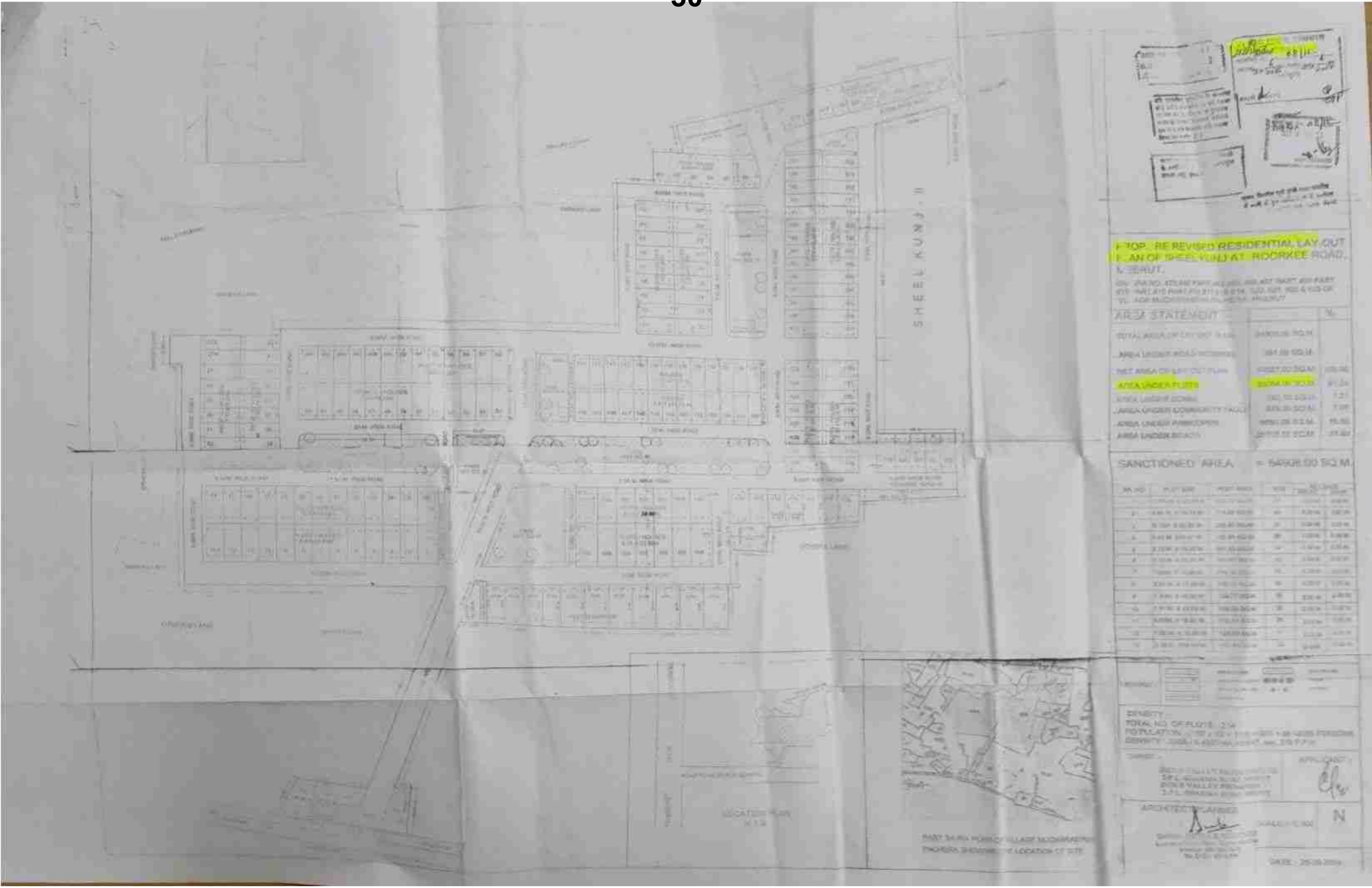
SHEEL KUNJ
REVISED RESIDENTIAL LAY OUT
ROORKEE ROAD,
AREA STATEMENT
SANCTIONED AREA
DENSITY
TOTAL NO. OF PLOTS
POPULATION
APPLICANT
ARCHITECT / PLANNER
N
LOCATION PLAN

ANNEXURE-2

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

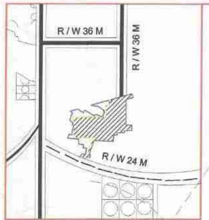

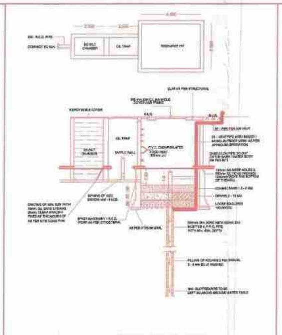

RAIN WATER HARVESTING DETAIL

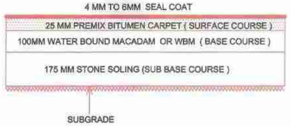

ROADS SECTIONS

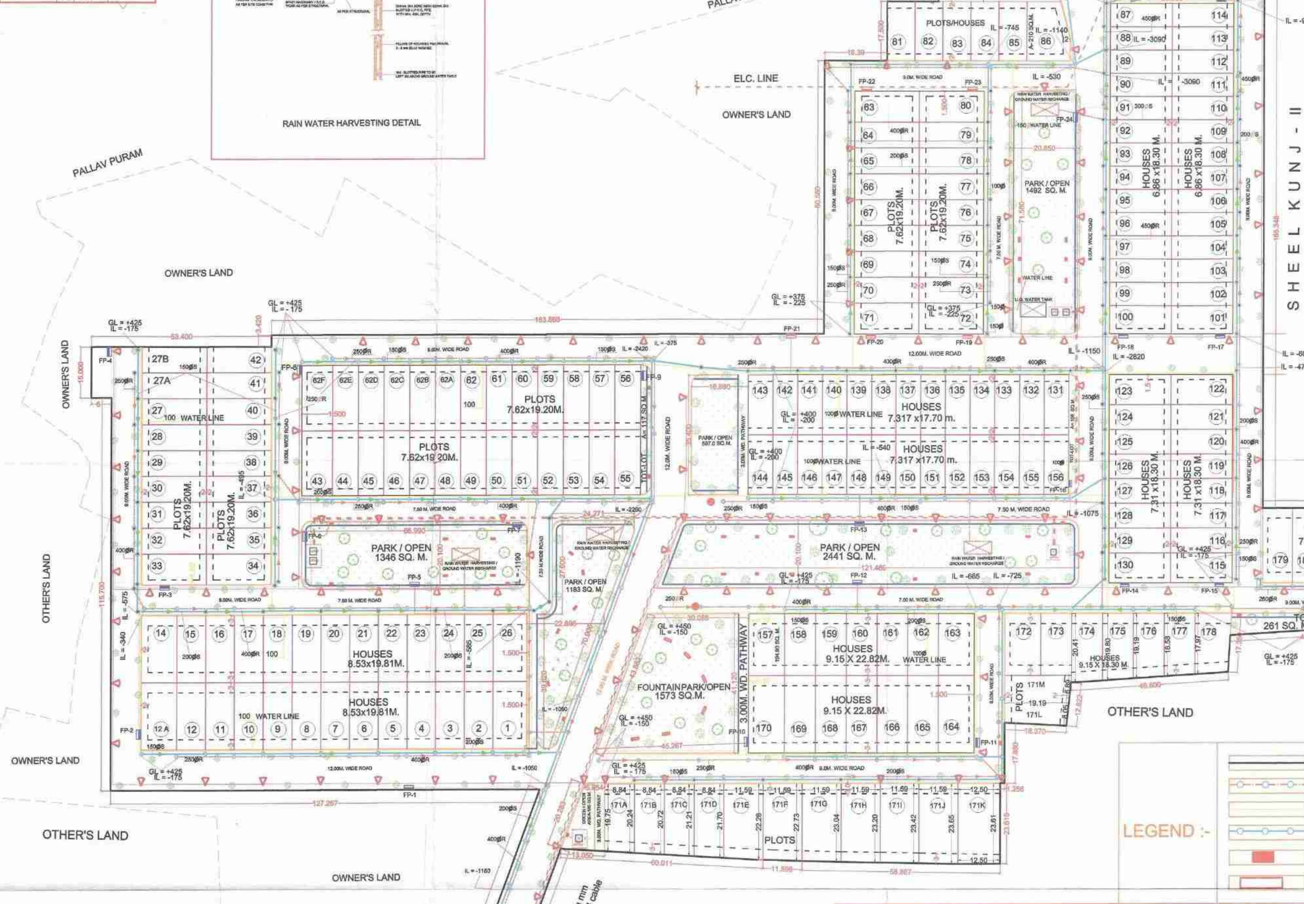

1. UNDER GROUND WATER TANK CAPACITY = 3,00000 LITRE'S
   DETAILS OF UNDER GROUND WATER TANK
   A:- WATER SUPPLY PUMP (15HP) = 3 NOS
   B:- PUMP FOR TANK FILLING (7.5HP) = 01 NO.
2. RAIN WATER HARVESTING / GROUND WATER RECHARGE SYSTEM.= 04 NOS. (CAPACITY = 3,0000 LITRE'S)
3. SEWAGE PUMPING SATATION (CAPACITY = 54,000 LITRE'S) SEWAGE PUMP (7.5 HP) = 02 NOS.
4. TRANSFORMER (400 K.V.A.) = 04NOS.
5. TRANSFORMER (250 K.V.A.) = 02 NOS.
10. ROADS AND PARKS ARE FULLY DEVELOPED

LEGEND :-

- SITE BOUNDRY
- STORM WATER LINE
- WATER SUPPLY LINE
- SEWER LINE
- DUSTBINS
- BENCH
- STREET LIGHT
- ELECTRIC H.T. LINE
- TRANSFORMER
- FEEDER PILLAR
- TREES
- 1.20 M PATHWAY LINE IN PARK

COMPLETION RESIDENTIAL LAY-OUT PLAN OF SHEEL KUNJ AT ROORKEE ROAD, MEERUT.

KHASRA NO. 473,482 PART,483,485,486,487 RART,490 PART, 613 PART,615 PART,616,617,618,619, 620, 621, 622 & 623 OF VILLAGE MUQARRABPUR PALHERA, MEERUT.

AREA STATEMENT :-		%
.TOTAL AREA OF LAY OUT PLAN	64908.00 SQ.M.	
. AREA UNDER ROAD WIDENING	381.00 SQ.M.	
. NET AREA OF LAY OUT PLAN	64527.00 SQ.M.	100.00
. AREA UNDER PLOTS	33064.00 SQ.M.	51.24
. AREA UNDER COMM. / RESI.	783.00 SQ.M.	1.21
. AREA UNDER COMMUNITY FACILI.	675.00 SQ.M.	1.05
. AREA UNDER PARK/OPEN	9680.00 SQ.M.	15.00
. AREA UNDER ROADS	20325.00 SQ.M.	31.50

.SANCTIONED AREA = 64908.00 SQ.M.

SR. NO.	PLOT SIZE	PLOT AREA	NOS.	SET BACK FRONT	SET BACK REAR
1	11.59 M. X 22.28 M.	258.23 SQ.M.	07	3.00 M.	3.00 M.
2	8.84 M. X 19.75 M.	174.59 SQ.M.	04	3.00 M.	3.00 M.
3	9.15M. X 22.82 M.	208.80 SQ.M.	07	3.00 M.	3.00 M.
4	8.53 M. X19.81 M.	168.98 SQ.M.	26	3.00 M.	3.00 M.
5	9.15 M. X 18.30 M.	167.45 SQ.M.	14	3.00 M.	3.00 M.
6	7.32 M. X 21.95 M.	160.67 SQ.M.	05	3.00 M.	3.00 M.
7	7.62M. X 19.20 M.	146.30 SQ.M.	62	2.00 M.	2.00 M.
8	8.54 M. X 17.50 M.	149.45 SQ.M.	06	2.00 M	2.00 M.
9	7.31M. X 18.30 M.	133.77 SQ.M.	16	2.00 M.	2.00 M.
10	7.31 M. X 17.70 M.	129.39 SQ.M.	26	2.00 M	2.00 M.
11	6.86M. X 18.30 M.	125.54 SQ.M.	28	2.00 M.	2.00 M.
12	7.92 M. X 15.85 M.	125.53 SQ.M.	11	2.00 M	2.00 M.
13	6.86 M. X19.19 M.	131.64 SQ.M.	02	2.00M	2.00 M.
		TOTAL	= 214		

LEGEND :-

DENSITY :-
TOTAL NO. OF PLOTS :-214
PO PULATION :-(197 x 10 + 17x5) =1970 + 85 =2055 PERSONS
DENSITY :-2055 / 6.4527HA.=318.47, say, 319 P.P.H.

OWNER :-
INDUS VALLEY PROMOTERS LTD.
2-P.L. SHARMA ROAD, MEERUT
INDUS VALLEY PROMOTERS
2-P.L. SHARMA ROAD, MEERUT

APPLICANT :-
Authorised Signatory
For Indus Valley Promoters Ltd

ARCHITECT/PLANNER
ER. U. K. KAUSHIK
B.E. (CIVIL) M.I.E. (INDIA)
M. No.- M-140105-4
Regd. Engineer (M.D.A.)

SCALE :- 1: 500

DATE :- 28-03-2016

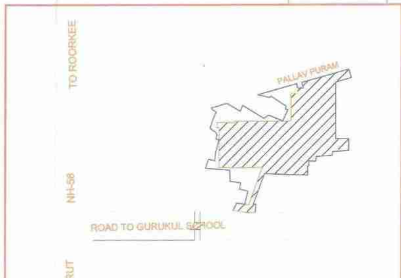

LOCATION PLAN
N.T.S.

PART SAJRA PLAN OF VILLAGE MUQARRABPUR PALHERA SHOWING THE LOCATION OF SITE

मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ कम्पलीशन ड्राइंग

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः 1497/11/मानचित्र अनु0 (जोन बी)/2011 दिनांक :- 10/6/2011

श्री तेजराम व श्री अरूण कुमार गोयल आदि,
निवासी–11/5 मानसरोवर,
मेरठ।

आपके पत्र दिनांक **16.12.09** तलपट मानचित्र सं0 **22/09** के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित **आवासीय भूविन्यास** भवन निर्माण का मोहल्ला/कालोनी/मुबर्रकपुर पल्हैडा, रूडकी रोड, मेरठ के भूखण्ड/खसरा/भवन सं0 **624, 626, 627, 628, 629पार्ट, 637, 638, 640पार्ट, 644पार्ट, 645पार्ट, 647पार्ट व 648** पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगां
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने का बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेंगे।
11. उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नः स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपिः– अवर अभियन्त, क्षेत्रीय को प्रेषित।

आन्तरिक विकास कार्यों में बन्धक रहेंगे
भूखण्ड (संख्या) 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, C-1 व C-2 क्षे0 = 2753.86 मी0

(जयपाल सिंह)
मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

वाह्य विकास शुल्क में बन्धक रहेंगे
भूखण्ड संख्या – 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, व 1054 = 2856.54 वर्ग मी0

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः/035/11/मानचित्र अनु0 (जोन बी)/2011 दिनांक :- 16/3/2011

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री तेजराम सिंह व ,
श्री अरूण कुमार गोयल आदि,
निवासी–11/5 मानसरोवर,
मेरठ।

विषय– तलपट मानचित्र संख्या–22/09 की औपचारिकतायें पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तलपट मानचित्र संख्या–22/09 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन दिनांक 05.3.2011 को निम्नलिखित औपचारिकतायें पूर्ण कराने की शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो निम्नवत् हैं:–

1– प्रस्तावित भूखण्डों को भविष्य में निर्मित किये जाने वाले भवनो का निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराकर ही किया जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

2– वाहय विकास शुल्क की आंकलित धनराशि रू0 71,925 से 460 से 3,30,85,500/– (तीन करोड तीस लाख पिच्चासी हजार पांच सौ मात्र) प्राधिकरण कोष में जमा कराने होंगे।

अथवा

वाहय विकास शुल्क की आंकलित धनराशि रू0 3,30,85,500/– की 40 प्रतिशत धनराशि रू0 1,34,34,200/– (एक करोड चौंतीस लाख चौंतीस हजार दो सौ मात्र) तथा शेष 60 प्रतिशत धनराशि रू0 1,96,51,300/– छ. छमाई किश्तों में तीन वर्षो में छः पोस्ट डेटिड चैक प्राधिकरण कोष में जमा कराने होंगे तथा समतुल्य भूमि के भूखण्ड प्राधिकरण में बन्धक रखने होंगे।

3– आन्तरिक विकास कार्यो की आगणित धनराशि रू0 1,92,05,423/– की समतुल्य भूमि के भूखण्ड प्राधिकरण में बन्धक रखने होंगे। जो विशिष्टियों के अनुरूप विकास कार्य पूर्ण करने पर अवमुक्त किये जायेंगे।

4– प्रयवेक्षण शुल्क कुल भूमि क्षेत्रफल 71925.00 वर्ग मी0 पर रू0 3.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से कुल रू0 2,15,775/– प्राधिकरण कोष में जमा कराने होंगे।

5– आन्तरिक विघुतीकरण का कार्य उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 के मानकों के अनुरूप करना होगा। यदि प्रवर्तक लगाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है तो निशुल्क उपलब्ध करानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

6– स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा तथा वर्तमान में रू0 एक लाख की एफ0डी0आर0 प्राधिकरण में बन्धक रखनी होगी।

7– आन्तरिक विकास कार्यों को तीन वर्षो में पूर्ण करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध निष्पादित कर प्रस्तुत करना होगा।

8– आन्तरिक विकास कार्यो को पूर्ण कराकर कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरण की जिम्मेदारी कालोनाइजर की होगी, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9– कालोनी के नगर निगम को हस्तान्तरण तक अनुरक्षण का कार्य कालोनाइजर द्वारा किया जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10– भूमि सम्बन्धी कोई विवाद होने पर कालोनाइजर स्वयं उत्तरदायी होगा, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11– तलपट मानचित्र में एक जई कर दर्शायी गयी भूमि पर तारबन्दी कर स्वामित्व सम्बन्धी बोर्ड लगाना होगा, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12– उक्त एक जई की गई भूमि पर अतिक्रमण न होने की जिम्मेदारी कालोनाइजर की होगी, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13– आन्तरिक सडको के दौनो ओर वृक्षारोपण करना होगा, इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

14– तलपट मानचित्र में प्रस्तावित आन्तरिक विकास कार्यो/निर्माण कार्ये को पूर्ण कर पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15– प्रस्तावित भूमि के निकट ट्रंक सीवर डाले जाने पर आन्तरिक सीवर को ट्रंक सीवर से जोडने का कार्य अपने खर्चे पर कालोनाइजर को करना होगा। वर्तमान में सर्विसिज डिस्पोजल हेतु एस0टी0पी0 लगाना होगा, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16– प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत पडने वाली 24.00 मीटर मास्टर प्लान रोड को कालोनाइजर द्वारा स्वयं विकसित करनी होगी तथा सार्वजनिक उपयोग हेतु खुला रखना होगा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17– मार्गो के जक्शन पर फायर हाइडेन्ट लागने होंगे, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18– उपाध्यक्ष महोदय के पत्र दिनांक 21.2.11 के अनुपालन में चकरोड की भूमि का समायोजन जिलाधिकारी, सरधना से कराकर प्रस्तुत करना होगा।

अतः उपरोक्त समस्त औपचारिकतायें/शर्तो को दिनांक 05/4/2011 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे की आपके तलपट मानचित्र स्वीकृति पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

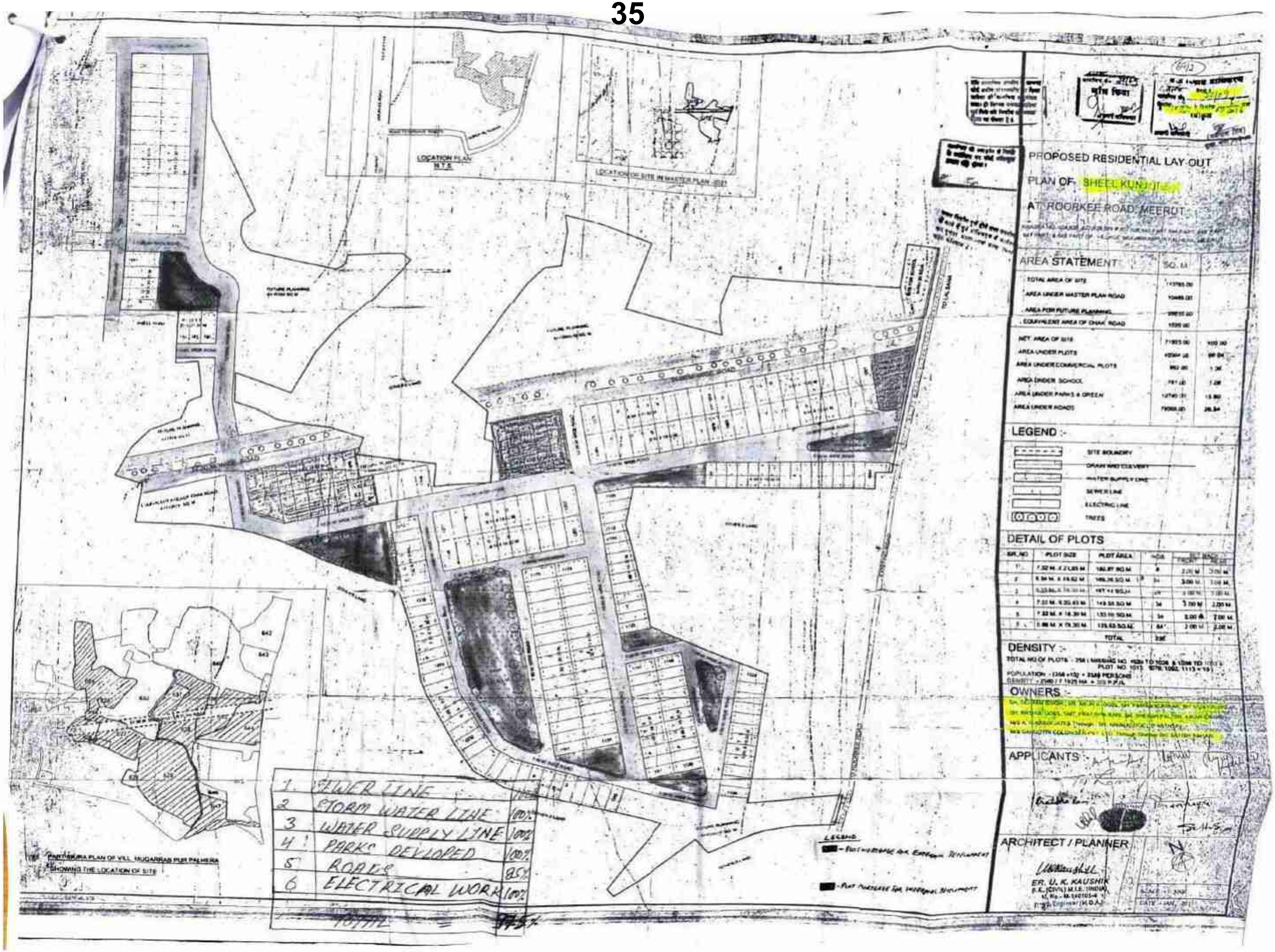
LOCATION PLAN
N.T.S.
PROPOSED RESIDENTIAL LAY-OUT
PLAN OF SHEEL KUNJ
AT ROORKEE ROAD, MEERUT
AREA STATEMENT
SQ. M
%
TOTAL AREA OF SITE
AREA UNDER MASTER PLAN ROAD
AREA FOR FUTURE PLANNING
EQUIVALENT AREA OF CHAK ROAD
NET AREA OF SITE
AREA UNDER PLOTS
AREA UNDER COMMERCIAL PLOTS
AREA UNDER SCHOOL
AREA UNDER PARKS & GREEN
AREA UNDER ROADS
LEGEND :-
SITE BOUNDARY
DRAIN AND CULVERT
WATER SUPPLY LINE
SEWER LINE
ELECTRIC LINE
TREES
DETAIL OF PLOTS
SR. NO
PLOT SIZE
PLOT AREA
NOS
TOTAL
DENSITY :-
OWNERS :-
APPLICANTS :-
ARCHITECT / PLANNER
ER. U. K. KAUSHIK
1. SEWER LINE
2. STORM WATER LINE 100%
3. WATER SUPPLY LINE 100%
4. PARKS DEVLOPED 100%
5. ROADS 85%
6. ELECTRICAL WORK 100%
TOTAL
SHOWING THE LOCATION OF SITE
LEGEND

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ANNEXURE-4

1. RAIN WATER HARVESTING / GROUND WATER RECHARGE SYSTEM.= 03 NOS. (CAPACITY = 3,0000 LITRE'S)
2. SEWAGE PUMPING SATATION (CAPACITY = 54,000 LITRE'S) SEWAGE PUMP (7.5 HP) = 02 NOS.
3. TRANSFORMER (250 K.V.A.) = 12NOS.
4. ROADS AND PARKS ARE FULLY DEVELOPED

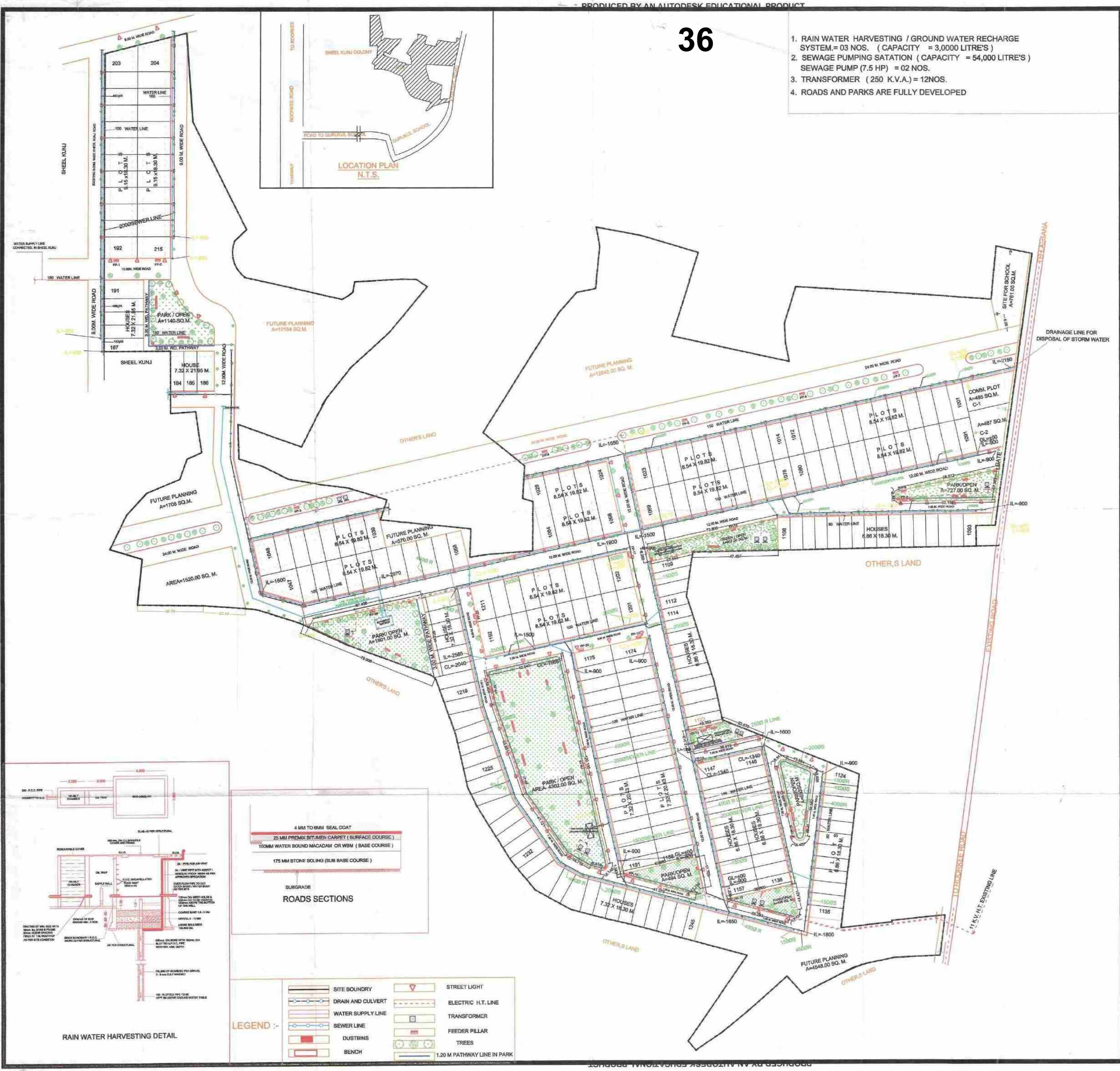

COMPLETION PLAN OF RESIDENTIAL LAY-OUT SHEEL KUNJ - II AT ROORKEE ROAD, MEERUT.

KHASRA NO. 624,626 ,627,628,629 P,637,638,640 PART,644 PART ,645 PART, 647 PART, & 648 OF VILLAGE MUQARRABPUR PALHERA, MEERUT.

AREA STATEMENT	SQ. M.	%
. TOTAL AREA OF SITE	113765.00	
. AREA UNDER MASTER PLAN ROAD	10485.00	
. AREA FOR FUTURE PLANNING	29835.00	
. EQUIVALENT AREA OF CHAK ROAD	1520.00	
. NET AREA OF SITE	71925.00	100.00
. AREA UNDER PLOTS	40304.00	56.04
. AREA UNDER COMMERCIAL PLOTS	982.00	1.36
. AREA UNDER SCHOOL	761.00	1.06
. AREA UNDER PARKS & GREEN	10790.00	15.00
. AREA UNDER ROADS	19088.00	26.54

DETAIL OF PLOTS

SR. NO.	PLOT SIZE	PLOT AREA	NOS.	SET BACK	
				FRONT	REAR
1	7.32 M. X 21.95 M.	160.67 SQ.M.	8	3.00 M.	3.00 M.
2	8.54 M. X 19.82 M.	169.26 SQ.M.	94	3.00 M.	3.00 M.
3	9.15 M. X 18.30 M.	167.44 SQ.M.	24	3.00 M.	3.00 M.
4	7.32 M. X 20.43 M.	149.55 SQ.M.	34	2.00 M.	2.00 M.
5	7.32 M. X 18.30 M.	133.96 SQ.M.	34	2.00 M.	2.00 M.
6	6.86 M. X 18.30 M.	125.53 SQ.M.	64	2.00 M.	2.00 M.
		TOTAL	258		

DENSITY :-

TOTAL NO OF PLOTS :- 258 (MISSING NO. 1029 TO 1038 & 1059 TO 1063 & PLOT NO. 1013, 1079, 1113 = 18)

POPULATION :- (258 x10) = 2580 PERSONS
DENSITY :- 2580 / 7.1925 HA. = 359 P.P.H.

OWNERS :-

M/S TRUPATI ASSOCIATES
Through Director Mr. SATISH SAHANI

APPLICANTS :-

ARCHITECT / PLANNER

ER. U. K. KAUSHIK
B.E. (CIVIL) M.I.E. (INDIA)
M. No.- M-140105-4
Regd. Engineer (M.D.A.)

SCALE :- 1: 1000

DATE :- JAN. -2016

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः 5/12 / मानचित्र अनु0 (जोन बी) / 2013 दिनांक :- 10/9/2013

मै0 इन्डस वैली प्रमोटर्स लि0
द्वारा श्री अजय गुप्ता,
पता 2, पी0एल0 शर्मा रोड, मेरठ।

आपके पत्र दिनांक **15.06.2012** तलपट मानचित्र सं0 **15/12** के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित **आवासीय भूविन्यास** भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम **शील कुंज-तृतीय, ग्राम मुकुरबपुर पल्हैडा,** मेरठ के खसरा सं0 **612पार्ट, 613पार्ट, 624पार्ट, 625, 626पार्ट, 627, 633, 634, 635पार्ट, 636, 637पार्ट, 638पार्ट, 639पार्ट व 640पार्ट** पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगां
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने का बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेंगे।
11. उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नः स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपिः- नोडल अधिकारी को प्रेषित।

10/9/13

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः 472 /मानचित्र–अनु0/जोन–बी/18 दिनांक : 12:03 : 2018

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी,
मानचित्र अनु0 जोन–बी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

मै0 इण्डस वैली प्रमोटर्स लि0,
द्वारा श्री अजय गुप्ता,
निवासी–02, पी0एल0 शर्मा रोड,
मेरठ।

विषयः मानचित्र संख्या 15/12 (शील कुंज–तृतीय कालोनी) की समस्त औपचारिकतायें/शर्तें पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके तलपट मानचित्र 15/12 का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने तथा आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष बंधक भूखण्डों को अवमुक्त करने हेतू उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित औपचारिकतायें/शर्तें पूर्ण किये जाने की शर्त साथ दिनांक 24–02–18 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः आप द्वारा निम्नलिखित औपचारिकतायें/शर्तें पूर्ण किया जाना अपेक्षित है–

1– कालोनी को आर0डब्ल्यू0ए0/नगर निगम को हस्तान्तरित करने का दायित्व आपका होगा। इस आशंय का शपथ पत्र देना होगा।

2– आवंटियों की शिकायतों के निस्तारण का दायित्व आपका होगा। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

3– सीवरेज का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा निर्मित एस0टी0पी0 के माध्यम से किया जा रहा है। अतः उसके मेन्टीनेन्स की कोई भी देनदारी बनती है एवं कालोनी आर0डब्ल्यू0ए0/नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने तक वहन स्वयं आप द्वारा किया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

4– आर0डब्ल्यू0ए0/नगर निगम को हस्तान्तरित करने तथा आन्तरिक विकास कार्यों के रखरखाव दायित्व आपका होगा। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

5– ई0डब्ल्यू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त ही इनके सापेक्ष बंधक बैंक गारण्टी को अवमुक्त किया जायेगा।

6– आन्तरिक विकास कार्यों के सापेक्ष अवशेष बंधक 06 भूखण्डों में चार भूखण्ड अवमुक्त किये सकते हैं तथा दो भूखण्ड कालोनी को नगर निगम को हस्तान्तरित करने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

7– आपके द्वारा बंधक भूखण्डों पर जो अस्थाई निर्माण किया गया है, उसे स्वयं ध्वस्त कर खाली करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

अतः उपरोक्त समस्त औपचारिकतायें/शर्तें दिनांक 20:3:18..... तक पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करे, जिससे कि आपके मानचित्र पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

12/3/18

प्रभारी अधिकारी,
मानचित्र अनु0 जोन–बी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

1	WATER LINE	90%
2	SEWER LINE	100%
3	STORM WATER LINE	100%
4	ELECTRICAL LINE	90%
5	ROAD WORK	75%
6	HORTICULTURAL	90%
	TOTAL WORK	90-85%

INDEX:

PLOTS MORTGAGE AGAINST EXTERNAL DEVELOPMENT CHARGES.

PLOTS MORTGAGE AGAINST INTERNAL DEVELOPMENT WORKS.

PROPOSED RESIDENTIAL LAY-OUT PLAN OF SHEEL KUNJ - III AT ROORKEE ROAD, MEERUT.

AREA STATEMENT

	SQ. M.	%
TOTAL AREA OF SITE	96497.00	
AREA UNDER MASTER PLAN ROAD	2092.00	
NET AREA OF SITE	94405.00	100.00
AREA UNDER PLOTS & HOUSES	57507.00	60.97
AREA FOR L.I.G. & E.W.S. UNITS	2575.00	2.73
AREA UNDER SCHOOL	1008.00	1.07
AREA UNDER PARKS & GREEN	14151.00	15.00
AREA UNDER ROADS	19154.00	20.28

LEGEND :-

DETAIL OF PLOTS

SR. NO.	PLOT SIZE	PLOT AREA	NOS.	SET BACK FRONT	SET BACK REAR
1	9.15 M. X 21.95 M	200.84 SQ M	11	3.00 M	3.00 M
2	8.54 M X 19.82 M	169.25 SQ M	56	3.00 M	3.00 M
3	7.62 M X 21.95 M	167.26 SQ M	24	3.00 M	3.00 M
4	7.32 M X 21.95 M	160.67 SQ M	13	3.00 M	3.00 M
5	8.54 M X 18.30 M	156.28 SQ M	04	3.00 M	3.00 M
6	7.32 M X 18.75 M	137.25 SQ M	53	2.00 M	2.00 M
7	7.32 M X 21.03 M	153.94 SQ M	16	2.00 M	2.00 M
8	7.32 M X 18.30 M	133.95 SQ M	32	2.00 M	2.00 M
9	7.925 M. X 15.85 M	125.61 SQ M	12	2.00 M	2.00 M
10	6.86 M X 18.30 M	125.54 SQ M	55	2.00 M	2.00 M
11	6.40 M X 18.30 M	117.12 SQ M	16	2.00 M	2.00 M
12	6.17 M X 18.30 M	112.91 SQ M	111	2.00 M	2.00 M
			[illegible]		

DETAIL OF PLOTS AREA

S.NO.	PLOT NO.	PLOT AREA (SQ.M.)
[illegible]	[illegible]	[illegible]

DETAIL OF PLOTS AREA

S.NO.	PLOT NO.	PLOT AREA (SQ.M.)
[illegible]	[illegible]	[illegible]

DENSITY :-

MISSING NO. 385 & 386

TOTAL NO. OF PLOTS & HOUSES : 455

POPULATION : [illegible] = 2996 PERSONS

DENSITY : [illegible]

OWNERS :-

M/S [illegible] PROMOTERS PVT. LTD. Through SH. AJAY GUPTA (DIRECTOR)

M/S [illegible] PROMOTERS Through SH. AJAY GUPTA (PARTNER)

SH. [illegible] SH. PRAMOD, SH. AMIT & OTHERS

[illegible]

[illegible] COLONISER PVT. LTD. Through Director SH. SATISH [illegible]

SH. [illegible]

APPLICANTS :-

ARCHITECT / PLANNER

SHAMA MEHRA & ASSOCIATES

SCALE 1 : 1000

DATE AUGUST 2012

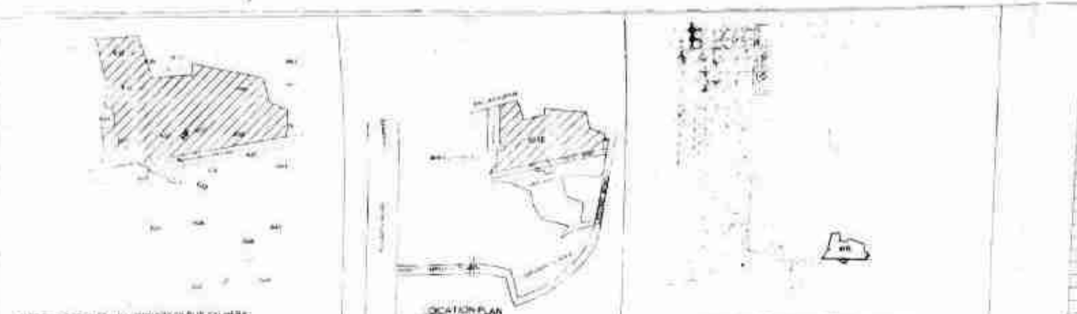

PART SHAJRA PLAN OF VILL. MUQARRABPUR PALHERA

LOCATION PLAN N.T.S.

LOCATION OF SITE IN MASTER PLAN-2021

ANNEXURE-6

मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ
कम्पलीशन ड्राइंग

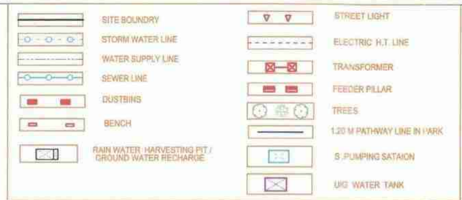

1. UNDER GROUND WATER TANK CAPACITY = 3,00000 LITRE'S
   DETAILS OF UNDER GROUND WATER TANK
   A:- WATER SUPPLY PUMP (20HP) = 3 NOS
   B:- PUMP FOR TANK FILLING (7.5HP) = 01 NO.
2. RAIN WATER HARVESTING / GROUND WATER RECHARGE SYSTEM.= 02 NOS. (CAPACITY = 3,0000 LITRE'S)
3. SEWAGE PUMPING SATATION (CAPACITY = 54,000 LITRE'S)
   SEWAGE PUMP (7.5 HP) = 02 NOS.
4. TRANSFORMER (250 K.V.A.) = 14 NOS.

10. ROADS AND PARKS ARE FULLY DEVELOPED

COMPLETION PLAN OF RESIDENTIAL LAY-OUT SHEEL KUNJ - III AT ROORKEE ROAD, MEERUT.

KHASRA NO. 612 PART,613PART, 624 PART,625 ,626 PART ,627 PART 633 ,634 , 635 PART, 636, 637 PART,638 PART,639 PART, 640 PART OF VILLAGE MUQARABPUR PALEHRA PARGANA DAURALA TEHSIL SARDHANA DISTT. - MEERUT.

AREA STATEMENT

AREA STATEMENT	SQ. M.	%
. TOTAL AREA OF SITE	96497.00	
. AREA UNDER MASTER PLAN ROAD	2092.00	
. NET AREA OF SITE	94405.00	100.00
. AREA UNDER PLOTS & HOUSES	57230.98	60.62
. AREA FOR L.I.G. & E.W.S. UNITS	2575.00	2.73
. AREA UNDER SCHOOL	1008.00	1.07
. AREA UNDER PARKS & GREEN/OPEN	14298.25	15.14
. AREA UNDER ROADS	19292.77	20.44

DETAIL OF PLOTS

SR. NO.	PLOT SIZE	PLOT AREA	NOS.	SINGLE UNIT	DOUBLE UNIT
1	9.15 M. X 21.95 M.	200.84 SQ.M.	11	----	11
2	8.54 M. X 19.82 M.	169.26 SQ.M.	52	22	30
3	7.62 M. X 21.95 M.	167.26 SQ.M.	24	----	24
4	7.32 M. X 21.95 M.	160.67 SQ.M.	13	13	----
5	8.54 M. X18.30 M.	156.28 SQ.M.	08	04	04
6	7.32 M. X 18.75 M.	137.25 SQ.M.	53	53	----
7	7.32 M. X 21.03 M.	153.94 SQ.M.	16	----	16
8	7.32 M. X 18.30 M.	133.96 SQ.M.	32	32	----
9	7.926 M. X15.85 M.	125.63 SQ.M.	12	12	----
10	6.86 M. X 18.30 M.	125.54 SQ.M.	54	54	----
11	6.40 M. X 18.30 M.	117.12 SQ.M.	18	----	18
12	6.17 M. X 18.30 M.	112.91 SQ.M.	111	20	91
		TOTAL	404	210	194

MISSING NO. 385 & 386, 589 & 590

DENSITY :-

TOTAL NO OF PLOTS & HOUSES :- 404
POPULATION :- (194X10 = 1940) + (210X5 = 1050) = 2990 PERSONS
DENSITY :- 2990 / 9.4405 HA. = 316.72 P.P.H. SAY. 317 P.P.H.

OWNERS :-

M/S INDUS VALLEY PROMOTERS LTD. Through
SH. AJAY GUPTA (DIRECTOR)

M/S INDUS VALLEY PROMOTERS Through
SH. AJAY GUPTA (PARTNER)

APPLICANTS :-

Authorised Signatory
For Indus Valley Promoters Ltd.

ARCHITECT / PLANNER

ER. U. K. KAUSHIK
B.E. (CIVIL) M.I.E. (INDIA)
M. No.- M-140105-4
Regd. Engineer (M.D.A.)

N

SCALE :- 1: 1000

DATE :- APRIL 2018

DETAIL OF PLOTS AREA

S.NO.	PLOT NO.	PLOT AREA (SQ.M.)
1	227	121.47
2	228	121.88
3	229	122.34
4	230	122.73
5	231	123.05
6	232	123.44
7	233	123.84
8	234	124.44
9	235	125.23
10	236	126.02
11	237	128.95
12	238	165.00
13	239 TO 261 (each)	167.26
14	263 TO 276, 279 TO 292, (each)	133.96
15	262 & 277, 278 & 293, (each)	198.55
16	294	225.00
17	295 TO 298, 300 TO 305 (each)	160.67
18	299 & 306 (each)	193.60
19	307	192.68
20	308 TO 310 (each)	156.28
21	311	199.00
22	312	182.71
23	313	192.06
24	314	160.52
25	315	126.85
26	315-A	96.56
27	316	174.75
28	317 TO 341, 344 TO 367, (each)	137.25
29	342 & 343 (each)	174.75
30	368	266.72
31	369 TO 383 (each)	169.26
32	384	232.90
33	387	283.00
34	388 TO 396, (each)	200.84
35	397	223.53
36	398 & 415 (each)	174.77
37	399 TO 414 (each)	117.12
38	416 TO 438, 441 TO 463 (each)	112.91
39	439 & 440 (each)	225.46
40	464 & 467 (each)	178.61
41	465 & 466 (each)	156.28
42	468 TO 490, 493 TO 515 (each)	112.91
43	491 & 492 (each)	196.92
44	516 & 519 (each)	193.44

DETAIL OF PLOTS AREA

S.NO.	PLOT NO.	PLOT AREA (SQ.M.)
45	517 & 518 (each)	169.26
46	520	229.54
47	521 TO 530 (each)	169.26
48	531	128.27
49	532 TO 544 (each)	112.91
50	545	180.62
51	546 & 553, 554 & 561, (each)	183.18
52	547 TO 552, 555 TO 560 (each)	153.94
53	562	131.56
54	563	162.14
55	564 TO 570 (each)	125.54
56	571	127.09
57	572	130.43
58	573	132.11
59	574	133.78
60	575	135.45
61	576	137.98
62	577	138.80
63	578 & 579 (each)	140.57
64	580	194.67
65	581	156.28
66	582 TO 587 & 592 TO 598 (each)	125.64
67	588 & 591 (each)	182.45
68	599	127.12
69	600	130.18
70	601	133.54
71	602	146.53
72	603	138.16
73	604	137.06
74	605	135.80
75	606	135.02
76	607	134.04
77	608	132.91
78	609	131.75
79	610	130.65
80	611	130.00
81	612	129.30
82	613	128.14
83	614	127.39
84	615	126.53
85	616	125.80
86	1029 TO 1038, 1059 TO 1063 (each)	169.26

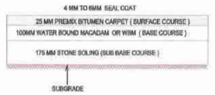

ROADS SECTIONS

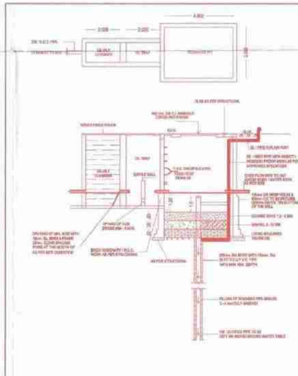

RAIN WATER HARVESTING DETAIL

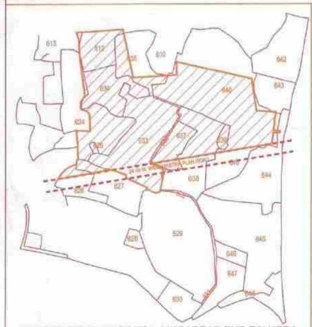

PART SAJRA PLAN OF VILL. MUQARRAB PUR PALHERA SHOWING THE LOCATION OF SITE

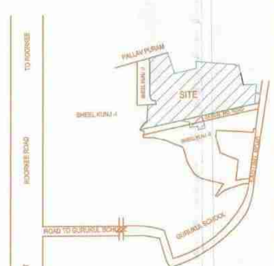

LOCATION PLAN
N.T.S.

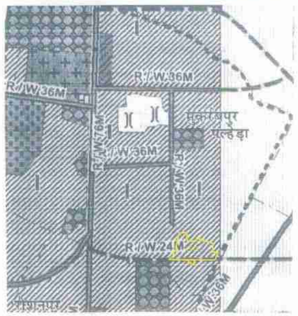

LOCATION OF SITE IN MASTER PLAN -2021

ANNEXURE-7

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 1300/EE/2020–21

दिनांक : 24-2-21

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
इंडियन बैंक, एम0डी0ए0 परिसर,
मेरठ।

महोदय,

कृपया पल्लवपुरम स्थित एसटीपी के रखरखाव हेतु मै0 इन्डस वैली प्रमोटर्स लि0 द्वारा अनुरक्षण शुल्क की धनराशि जमा कराने का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	जमा धनराशि	बैंक का नाम	चेक संख्या/दिनांक
1	11,68,344.00	भारतीय स्टेट बैंक	837064/17.02.2021

कृपया उपरोक्तानुसार संलग्न चेक की धनराशि मेरठ विकास प्राधिकरण के अनुरक्षण मद के खाता सं0–50296325916 में जमा कराने का कष्ट करें।

संलग्न:– चेक मूल रुप में।

24/02/21

अधिशासी अभियन्ता,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

इंडियन बैंक / Indian Bank
एमडीए शाखा, मेरठ / M.D.A Branch, Meerut
26 FEB 2021
समाशोधन / Clearing

01/03/05

खाता सं० – 50296325916

इलाहाबाद बैंक

शाखा मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ

(सम्पत्ति की प्रति)

आवासीय भुखण्डों/भवन हेतु

दिनांक 25-2-21 .... सम्पत्ति/ पद का वा न्यूटर कोड ....

आवेदक/आवंटी का नाम ....

पिता/पुत्र/पुत्री/श्री ....

पता ....

योजना/कालोनी का नाम ....

सेक्टर/प्लाकेट .... सम्पत्ति सं० ....

क्षेत्रफल .... श्रेणी .... किश्त सं० ....

जमा धनराशि का विवरण

क्र. सं.	मद का नाम	जमा की धनराशि	क्र. सं.	मद का नाम	जमा की धनराशि
1.	पंजीकरण राशि	/	8.	अतिरिक्त भूमि का मूल्य	/
2.	आवंटन राशि		9.	[illegible]	
3.	किश्त से मूलधन		10.	पार्क फेसिंग चार्ज	
4.	किश्त में ब्याज		11.	कार्नर चार्ज	
5.	दण्ड ब्याज		12.	रोड चार्ज	
6.	लीजरेन्ट/फ्री–होल्ड		13.	अन्य	1168355.00
7.	बचा हुआ प्रतिकर	/	14.	अन्य	/
				अन्य	

नकद/ड्राफ्ट सं0 837064 दिनांक 17-2-21 धनराशि 1168355.00

बैंक का नाम ....

योग शब्दों में ....

यू.टी.आर. नं. ....

26 FEB 2021

आवंटी/आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : भवन का आरक्षण/आवंटन वैध होने की दशा में ही रसीद मान्य होगी।

ANNEXURE-8

दिनांकित 07.06.2023

श्रीमान उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

विषयः स्वीकृति शर्त अनुसार ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैड़ा रूड़की रोड स्थित तलपट मानचित्र सं0 22/2009, 15/2012 एवं 11/2016 की ट्रंक सीवर लाईन को बाह्य विकास के मद में पल्लवपुरम फेज–प्रथम स्थित STP से जोड़नें के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके संज्ञान में लाना है कि विकासकर्ता द्वारा ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैड़ा, रूड़की रोड, मेरठ में तीन आवासीय परियोजना के लिए भिन्न–भिन्न समय पर तलपट मानचित्र स्वीकृत करवाकर बाह्य विकास शुल्क के मद में निम्न भुगतान किया गया–

शीलकुंज द्वितीय तलपट मानचित्र सं0 22/2009	रू0 3,30,85,500.00
शीलकुंज तृतीय तलपट मानचित्र सं0 15/2012	रू0 4,90,90,600.00
शीलकुंज एनक्लेव तलपट मानचित्र सं0 11/2016	रू0 2,28,99,200.00
कुल	रू0 10,50,75,300.00

उपरोक्त तीनों मानचित्र की स्वीकृति की शर्त में विकासकर्ता द्वारा परियोजनाओं की सीवर लाईनों को M.D.A. द्वारा संचालित S.T.P. पल्लवपुरम फेज–1 की ट्रंक लाईन से जोड़ने का प्रावधान है।

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जल निगम मेरठ से S.T.P. की क्षमता एवं क्षेत्रफल की जनसंख्या के जल–मल निकासी के अनुपात में जांच भी कर ली गई है तथा S.T.P. क्षमता को सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र के लिए पर्याप्त पाया गया है।

विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त तीनो तलपट मानचित्र के विकास कार्य पूरे कर पूर्णता प्रमाण पत्र ले लिया गया है परन्तु प्राधिकरण द्वारा परियोजना स्थल के नजदीक S.T.P. की ट्रंक सीवर लाईन नहीं डाली गई है जिससे विकासकर्ता अपनी परियोजना की सीवर लाईन जोड़कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन कर सके।

अतः आपसे प्रार्थना है कि परियोजनाओं के बाह्य विकास कार्यों के मद में पल्लवपुरम–1 S.T.P. की ट्रंक लाइन को विकासकर्ता की परियोजना स्थल तक, जल्द से जल्द कार्य कर पहुंचाने का निर्देश देकर कार्य की दिशा में ठोस कार्य करने की कृपा करें।

भवदीय

मै0 इण्डस वैली प्रमोटर्स

(अधिकृत हस्ताक्षरी)
दीपक शर्मा
2, पी0एल0 शर्मा रोड, मेरठ।
मो0 9412106655

08/06/23

ANNEXURE-9

(Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, and Section 3, Sub-section (ii)
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
New Delhi 14th September, 2006
Notification

S.O. 1533(E). - Whereas, a draft notification **under sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for imposing** certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the Schedule to the notification, being undertaken in any part of India[1], unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of National Environment Policy **as approved by the Union Cabinet on 18th May, 2006** and the procedure specified in the notification, by the Central Government or the State or Union territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), to be constituted by the Central Government in consultation with the State Government or the Union territory Administration concerned under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of this notification, was published in the Gazette of India ,Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1324 (E) dated the 15th September ,2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15th September, 2005;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be

---

I; II; III (i), (ii); IV (a), (b); V (i), (ii), (iii)(a), (b), (c), (iv), (v), (vi) (a), (b), (vii), (viii) (a), (b), (ix), (x), (xi), (xii) (a), (b) , (xiii), (xiv) (a), (b), (xv) (a), (b), (xvi) (a), (b), (xvii); VI (a), (b); VII & VIII of the Notification, S.O. 3067(E) dated 01.12.2009 of the Ministry of Environment and Forests, (Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, and Section 3, Sub-section (ii), No. 2002] New Delhi, Tuesday, November 1, 2009; an amendment to EC notification S.O.1533(E) dated 14.09.2006

SCHEDULE

(See paragraph 2 and 7)

LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1		Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
v "1(a)	(i) Mining of minerals.	≥ 50 ha. of mining lease area in respect of non-coal mine lease. > 150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease. Asbestos mining irrespective of mining area	<50 ha ≥ 5 ha .of mining lease area in respect of non-coal mine lease. ≤ 150 ha ≥ 5 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	General Condition shall apply Note: Mineral prospecting Is exempted.";
	(ii) Slurry pipelines (coal lignite and other ores) passing through national parks / sanctuaries / coral reefs, ecologically sensitive areas.	All projects.		
1(b)	Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production	All projects		Note Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey
1(c)	River Valley pojects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area	(i) < 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation; (ii) < 10,000 ha. of culturable command area	v "General Condition shall apply. Note: Irrigation projects not involving submergence or inter-state domain shall be appraised by the SEIAA as Category 'B' Projects.";

I; II; III (i), (ii); IV (a), (b); V (i), (ii), (iii)(a), (b), (c), (iv), (v), (vi) (a), (b), (vii), (viii) (a), (b), (ix), (x), (xi), (xii) (a), (b) , (xiii), (xiv) (a), (b), (xv) (a), (b), (xvi) (a), (b), (xvii); VI (a), (b); VII & VIII of the Notification, S.O. 3067(E) dated 01.12.2009 of the Ministry of Environment and Forests, (Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, and Section 3, Sub-section (ii), No. 2002] New Delhi, Tuesday, November 1, 2009; an amendment to EC notification S.O.1533(E) dated 14.09.2006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7(e)	[V] "Ports, harbours, break waters, dredging."	≥ 5 million TPA of cargo handling capacity (excluding fishing harbours)	< 5 million TPA of cargo handling capacity and/or ports/ harbours ≥10,000 TPA of fish handling capacity	[V] "General Condition shall apply. Note: 1. Capital dredging inside and outside the ports or harbors and channels are included; 2. Maintenance dredging is exempt provided it formed part of the original proposal for which Environment Management Plan (EMP) was prepared and environmental clearance obtained."
7(f)	Highways	i) New National High ways; and ii) Expansion of National High ways greater than 30 KM, involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition and passing through more than one State.	[V] " i) All State Highway Project; and ii) State Highway expansion projects in hilly terrain (above 1,000 m AMSL) and or ecologically sensitive areas."	General Condition shall apply. Note: Highways include expressways."
7(g)	Aerial ropeways	[V(xvi)(a)] "(i) All projects located at altitude of 1,000 mtr. And above. (ii) All projects located in notified ecologically sensitive areas."	[V(xvi)(b)] "All projects except those covered in column (3)."	General Condition shall apply
7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)		All projects	General Condition shall apply
7(i)	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)		All projects	General Condition shall apply
8		Building /Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of built-up area#	#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)
8(b)	Townships and Area Development projects.		Covering an area ≥ 50 ha and or built up area ≥1,50,000 sq .mtrs ++	++All projects under Item 8(b) shall be appraised as Category B1

I; II; III (i), (ii); IV (a), (b); V (i), (ii), (iii)(a), (b), (c), (iv), (v), (vi) (a), (b), (vii), (viii) (a), (b), (ix), (x), (xi), (xii) (a), (b) , (xiii), (xiv) (a), (b), (xv) (a), (b), (xvi) (a), (b), (xvii); VI (a), (b); VII & VIII of the Notification, S.O. 3067(E) dated 01.12.2009 of the Ministry of Environment and Forests, (Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, and Section 3, Sub-section (ii), No. 2002] New Delhi, Tuesday, November 1, 2009; an amendment to EC notification S.O.1533(E) dated 14.09.2006